संख्याः 38 /XXX (2)/2021-30(21)/2018

प्रेषक,

राधा रतूड़ी,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

(1) समस्त अपर मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

(2) समस्त प्रमुख सचिव / सचिव / सचिव(प्रभारी),
उत्तराखण्ड शासन।

(3) समस्त जिलाधिकारी,
उत्तराखण्ड।

(4) समस्त विभागाध्यक्ष / प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तराखण्ड।

कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग–2 **देहरादून : दिनांक 18 जनवरी, 2021**

विषयः कतिपय श्रेणी के भूतपूर्व सैनिकों को उनके लिए आरक्षित सिविल सेवा में शैक्षिक अर्हता में समक्षता / छूट के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक कार्मिक, जन आकांक्षा एवं पेंशन मंत्रालय भारत सरकार की अधिसूचना संख्या 15012 / 8 / 82–स्थापना (डी), दिनांक 12 फरवरी, 1986 तथा भूतपूर्व सैनिक पुनर्वास कार्यान्वयन समिति के प्रस्तावों पर सम्यक विचारोपरान्त उ0प्र0 शासन द्वारा लिये गये निर्णय के आलोक में शासनादेश संख्या 15 / 5 / 1986–का–2 / 92, दिनांक 28 अप्रैल, 1992 निर्गत किया गया है, उक्त के क्रम में शासन द्वारा निम्नलिखित निर्णय लिये गये हैं–

(1) ऐसे भूतपूर्व सैनिक जो मैट्रीकुलेट हों तथा इण्डियन स्पेशल आर्मी सर्टिफिकेट आफ एजुकेशन या नौ सेना / वायु सेना में समकक्षीय सर्टिफिकेट प्राप्त किये हों तथा संघ की सशस्त्र सेवा में कम से कम 15 वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, को उनके लिए आरक्षित सिविल पदों के समूह 'ग' की उन सेवाओं / पदों के लिए अर्ह माना जायेगा, जिनके लिये न्यूनतम शैक्षिक अर्हता स्नातक निर्धारित हो, परन्तु जहाँ उनके लिये तकनीकी या व्यावसायिक अनुभव अनिवार्य न हो या जहाँ गैर तकनीकी व्यावसायिक कार्य अनुभव अनिवार्य हो और नियुक्ति प्राधिकारी का सन्तोष हो जाये कि ऐसे भूतपूर्व सैनिक अल्प प्रशिक्षण प्राप्त करने के उपरान्त अपने दायित्वों का निर्वहन कर सकते हैं।

(2) भूतपूर्व सैनिकों के लिये आरक्षित सिविल सेवा के समूह 'ग' व 'घ' के ऐसे पदों, जिनके लिए न्यूनतम शैक्षिक अर्हता मैट्रीकुलेशन निर्धारित हो, नियुक्ति प्राधिकारी अपने स्वविवेक से ऐसे भूतपूर्व सैनिकों को न्यूनतम शैक्षिक अर्हता से छूट प्रदान कर सकते हैं, जिन्होंने इण्डियन आर्मी क्लास–1 परीक्षा या उसके समकक्षीय नौ सेना या वायु सेना की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो और संघ की सशस्त्र सेवा में कम से

कम 15 वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो और अन्यथा कार्य अनुभव एवं अर्हताओं के आधार पर उन्हें उक्त पद के दायित्वों के निर्वहन के लिए उपयुक्त समझा जाये।

(3) यदि भूतपूर्व सैनिक समूह 'ग' व 'घ' के पदों के विरूद्ध निर्धारित सीमा तक चयनित न हो सकें तो दक्षता को कुप्रभावित किये बगैर सामान्य मापदण्ड को इस सीमा तक शिथिल किया जा सकता है जिससे आरक्षण का कोटा पूरा हो जाये।

2— कृपया उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीया,

(राधा रतूड़ी)
अपर मुख्य सचिव।

पृष्ठांकन संख्याः (1)/XXX(2)/2021-30(21)/2018 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि :
1. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री उत्तराखण्ड।
2. सचिव, लोक सेवा आयोग उत्तराखण्ड, हरिद्वार।
3. सचिव, उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, देहरादून।
4. सचिव, चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड, देहरादून।
5. प्रभारी मीडिया केन्द्र, उत्तराखण्ड सचिवालय।
6. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(महावीर सिंह)
संयुक्त सचिव।